प्रथम – अध्याय

प्रस्तावना

भारत गाँवों का देश है। गाँव के विकास के बिना भारत के विकास की कल्पना करना असम्भव है। महात्मा गाँधी ने कहा था की, "गाँव भारत की आत्मा और आधार है"। यदि भारत का विकास करना है तो गाँव का विकास करना होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरु ने कहा था कि, "पंचायत हमारे राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ है, उनको काम करने दो चाहे वे हजारों गलतियाँ करें। गलतियाँ करते-करते और सुधार लाते-लाते एक दिन यही पंचायत स्वशासन की सशक्त इकाई के रूप में कार्य करने लगेंगी"। भारत में पंचायती राज प्रजातांत्रिक संस्थाओं के लिए रीढ़ की हड्डी के सामान है जिस पर गावं की सारी सामाजिक और आर्थिक क्रियाएँ टिकी हुई हैं। वैदिक काल से प्रारम्भ से ही ब्रिटिश काल तक पंचायतों ने हमारे गांवों और उनकी जरूरतों की देखभाल की है। लेकिन आज हमारे गाँव में जो पंचायते हैं वे एक अलग और नयी कहानी हैं। ग्राम पंचायत, ब्लाक और जिला इन तीनों स्तरों पर देश भर में फैली हुई पंचायतों की स्वतंत्रता संवैधानिक सत्ता इसे भारतीय राज्य का तीसरा पाया कहा जा सकता है। पंचायती राज प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को जनता तक पहुचाने का एक उपकरण है। पंचायत स्तर पर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा चूका है। पंचायत स्तर पर हलाकि महिलाओं को कोई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नहीं प्राप्त हो सकी है, लेकिन सत्ता में उनकी भागीदारी की शुरुवात हो चुकी है। महिला राजनीती एक महत्त्वपूर्ण विषय है और जरुरत इस बात की है कि राजनीती में महिलाओं की संख्या बढाई जाए और उनकी सक्रियता बढाई जाए। तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इससे अपने अनेक कारण हैं। आज भी भारी संख्या में महिलाएँ पंचायतों में चुनकर आ रही हैं लेकिन यह पूरा सच नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि महिलाओं के नाम पर आज भी उनके पति रिश्तेदार ही राजनीती करते हैं।

आज महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जिनमें महिलाओं की कामयाबी अलग से रेखांकित करने योग्य है। कुछ लोग महिलाओं कि इस 'सक्रियता' को आधुनिकता की देन मानते हैं लेकिन इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने हमेशा से ही प्रत्येक सामाजिक घटना में सक्रियता के साथ अपनी भागीदारी की है। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम से लेकर 1942 की जनक्रांति और फिर आजादी मिलने तक महिलाओं का स्वाधीनता आंदोलन में अमूल्य व सक्रिय योगदान रहा है। महिलाओं ने न सिर्फ पुरुषों के साथ आजादी के माहायज्ञ में अपनी आहूती दी अपितु कई मोर्चों पर तो उन्होने स्वयं अंग्रजों से लोहा लिया और सीने पर

गोलियां खायीं, परंतु आज भी समाज में महिलाओं को कमजोर माना जाता है। उनको उनके पूरे अधिकार, हक्क नहीं दिए जाते, तथा आज भी समाज में पुरुषी सत्ता दिखाई देती हैं।

24 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपती के हस्ताक्षर होने के बाद 73 वाँ संवैधानिक संशोधन अस्तित्व में आया वह अपने आप में ऐतिहासिक था क्योंकि इसके द्वारा पंचायत स्तर पर औरतों को 33 फीसदी आरक्षण भी दिया गया था। इस महिला आरक्षण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडें वर्ग की महिलाओं के लिए भी स्थान आरक्षित हैं । आज पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण दिया जा चुका है लेकिन सत्ता में औरतों की भागीदारी की स्थिति में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नही आया है क्योकि अधिकतर महिला सरपंच मात्र रबर-स्टैम्प ही बनकर रह गयी हैं और उनके नाम पर राजनीती उनके पुरुष रिश्तेदार ही करत हैं ।

पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण, सन 1993 में किए गये दो संविधान संशोधन के जरिए दिया गया था। आज इस व्यवस्था को पुरा एक दशक बीत चुका है और समीक्षा करने पर पता चलता है कि स्थिति जस की तस है। आज भी विभिन्न स्तरों से चुनाव जीत कर आयी महिलाएं संविधान द्वारा दिए गये अपने अधिकारों का आजादी से प्रयोग कर पाने की स्थिति में नही हैं । वे सत्ता में तो आ रही हैं लेकिन स्वतंत्रतापूर्वक फैसले नहीं ले पा रही हैं। आज भी वे पुरूषों के बल पर ही कुर्सी पर काबिज होती हैं और फिर उन्हीं के दिशा-निर्देशों पर चलने को बाध्य होती हैं। इस कठपुतलीपन का एक कारण जहां उनकी अशिक्षा और राजनैतिक निष्क्रियता है वही इसका दूसरा कारण है कि आज भी उन पर से पुरूषों के बंधन ढीले नही पड़े हैं। इसीलिए वे कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी पुरूष का मुंह देखती हैं, फिर वह पुरूष चाहे उसका पति हो या देवर या फिर भाई।

महिलाओं कों राजनिती में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता हैं, इसके कई कारण है- पहला तो यह कि निर्वाचित महिला सरपंचो को स्वतंत्रतापूर्वक काम करने का मौका नही दिया जा रहा, उन पर समाज, परिवार और पुरूषों का शिंकजा कसा हुआ है। दुसरा कारण शायद यह है कि हजारों वर्षों तक घर की चारदीवारी में बंधी रहने वाली और चौके-चुल्हें में पिसने वाली महिलाओं को सत्ता की सुख कि आदत नही पड़ी है। अधिकतर निर्वाचित महिला सरपंचों को तो अपने राजनैतिक अधिकारों का पता तक नही है, उन्हें नहीं पता कि सत्ता में रहते हुए वे क्या-क्या कर सकती हैं, कैसे जनसेवा के कार्य को अंजाम दे सकती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जैसे बीमारू प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे अपेक्षाकृत काफी विकसित व शिक्षित राज्य हों, स्थिति सभी जगह समान है ।

पंचायती राज :-

ग्राम पंचायत लगभग उतना ही पुराना है जितना की स्वंय भारत गावं को सशक्त बनाने की बात। **पं . जवाहर लाल नेहरू** कहा करते थे , कि यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज को प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले, जनता के लिए उतना ही लाभदायक हैं। प्रारम्भ से ही पंचायते गावों की आधारशिला रही हैं। भारत में पंचायती राज के इतिहास में 24 अप्रैल 1993 एक सुनेहरा दिन कहा जा सकता हैं। इस दिन संविधान का 73 वा संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू हुआ। जिसमें पंचायती राज संस्थओं को संविधानिक दर्जा मिला। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ -

(1) 20 लाख से अधिक जनसँख्या वाले राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था करना।
(2) हर पांच वर्ष में नियमित रूप से पंचायत चुनाव करना।
(3) अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण (कम से कम 33 प्रतिशत) हों।
(4) पंचायतों के वित्तीय अधिकारों के लिए राज्य वित्त आयोग नियुक्त करना।
(5) संपूर्ण जिले के विकास योजना का मसौदा तैयार करने के लिए जिला नियोजन समिति का गठन करना।

पंचायती राज पध्दति का हमारे देश में लम्बा इतिहास हैं। प्राचीन काल में भी पंचायती राज पध्दति के प्रचलन तत्व मौजूद थे। जिस पर गावं की सारी सामाजिक और आर्थिक क्रियाएँ टिकी हुई हैं। (वर्मा 2009)

आज हमारे गाँवो में जो ग्राम पंचायत हैं वे तिन स्तर पर हैं ग्राम स्तर, ब्लाक स्तर और जिला स्तर इन तिन स्तर पर पुरे देश भर में फैली हुई हैं। भारत में ग्राम पंचायत को संवैधानिक आधार प्राप्त होने से चुनाव में नियमितता और आम जनता के स्थानीय शासन में सीधी सहभागिता स्थापित हुई हैं। जिससे विकास और प्रशासन में दलितों, पिछडों और महिलाओं की भागीदारी से इनका सशक्तिकरण हुआ हैं तथा पंचायतों के कार्य शैली में नौकरशाही की बजाय जन प्रतिनिधियों का प्रभाव बढ़ गया हैं। (मधु सुदन, 2015)

पंचायत राज संस्था अचानक अस्तित्व में नहीं आ गई। इसके पीछे दशकों की मेहनत, प्रयास और राजनीतिक इच्छाशक्ति को इसका श्रेय जाता हैं। 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति को जिसने त्रिस्तरीय पंचायत संरचना बनाई। देश में पंचायतो को सुदृढ़ व विकसित करने का उपाय सुझाने के लिए समय – समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया हैं और धीरे – धीरे विकास के विभिन्न चरणों से होते हुए पंचायत राज संस्था आज इस रूप में हमारे सामने मौजूद हैं। (कुमार, 2015)

सर्व प्रथम वर्ष 1977 में पंचायतों के आधार को मजबूती के उददेश से अशोक समिति का गठन किया गया। उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं की वित्त संसाधनों की समस्याओं के अध्ययन हेतु संस्थानम समिति, पंचायतों को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु वर्ष 1985 में जी. वि. एस. राय समिति तथा 1986 में एल. एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया। वर्ष 1988 में गठित पी. के. गुंथन समिति ने पंचायतो को संविधान के नीति निर्देशन सिध्दांतों के अनुछेद से हटाकर अलग कानून के रूप में उल्लेखित करने की सिफारिश की। इसके पश्चात वर्ष 1991 नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। वर्ष 1992 में इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया इस समिति के प्रतिवेदन के आधार पर ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी द्वारा प्रारम्भ की गई पंचायत राज योजना 73 वी संविधान संशोधन के माध्यम से 24 अप्रैल 1993 को क्रियान्वित हो पाई। इस संशोधन को ग्राम पंचायतों को नई दिशा प्रदान करने के लिए किया गया था। 73 वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ग्राम सभा के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया हैं अनुछेद 243 (क) के तहत ग्राम सभा को शक्तियां प्रदान करने का कार्य भार राज्य सरकारों को सौंपा गया हैं तथा संविधान की 11 वीं सूची में निदिष्ट 29 विषयों के सम्बन्ध में योजना बनाने, क्रियान्वित करने तथा उनका मुल्यांकन करने का कार्य ग्राम सभाओं को सौंपा गया। (कुरुक्षेत्र, 2015)

प्रो. रजनी कोठारी के अनुसार – भारतीय राज व्यवस्था का विकेंद्रीकरण हो रहा हैं और देश की आंतरिक एकता बढ़ रही हैं। क्योंकी देश में एक स्थानीय संस्था आकर ले रही हैं, लोगों में एकता दिखाई दे रही हैं। (वर्मा, 2009)

पंचायती राज का अर्थ :-

'पंचायत' यह दो शब्द से मिलकर बना हैं। 'पंच' और 'आयत' (पंच + आयत) शब्दों से मिलकर बने 'पंचायत' शब्द की उत्पति संस्कृत भाषा के शब्द 'पंचायतन' से हुई है जिसका अर्थ पांच व्यक्तियाँ के समूह की एक ऐसी संस्था है जो गाँव के लोगों द्वारा निर्वाचित होती है यानि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ऐसा रूप जिसमें प्रशासनिक एवं सत्ता के अधिकारों को केंद्र से गाँवो को हस्तांतरित किया गया है। पंचायती राज के सन्दर्भ में 'ब्रिटेनिका एन्सेक्लपिडिया का मानना है की – "panchayati raj means decentralized democracy, delegated democracy, local self-government and even democratic decentralization."

भारतीय संविधान के नीति – निर्देशन तत्वों में कहा गया है कि – "राज्य, ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए प्रयत्न करेगा और उन्हीं इतनी शक्ति व् अधिकार प्रदान किये जाएगें की ग्राम पंचायतें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें"। (वर्मा, 2009)

पंचायतों की स्थापना :-

पंचायतों का गठन – संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार –

(क) ग्राम के लिए ग्राम पंचायत

(ख) खण्ड के लिए जनपद पंचायत

(ग) जिला के लिए जिला पंचायत का गठन किया गया है।

धारा 9 में पंचायत की अवधि :- प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने प्रथम सम्मिलन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक के लिए बनी रहेंगी, जब तक किसी अधिनियम के अधीन समय से पहले विघटित नहीं कर दी जाए।

धारा 10 ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत की स्थापना :- प्रत्येक ऐसे ग्राम के किए जो धारा 3 के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ग्राम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है जिसमें एक ग्राम पंचायत होंगी।

धारा 12 में ग्राम पंचायत को वार्डों में विभाजन :-

प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्रों को दस से अन्यून वार्डों में, जैसा कलक्टर निर्णय करे वैसा कार्य विभाजित किया जायेंगा तथा प्रत्येक वार्ड का एक सदस्य वार्ड होंगा। परन्तु ग्राम पंचायत की क्षेत्र जनसँख्या एक हजार से अधिक हो वहा पर सदस्यों को वार्डों में विभाजित किया जायेंगा जिससे की वार्डों की कुल संख्या बीस से अधिक न हो और प्रत्येक वार्ड की जनसँख्या में यथा साध्य एक जैसा ही होंगी। और ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसँख्या का ऐसी पंचायत में वार्डों की जनसँख्या के बीच का अनुपात ऐसे सम्पूर्ण खण्ड के लिए जिसके अंतर्गत पंचायत क्षेत्र आता हैं जो एक जैसा होंगा।

धारा 13 ग्राम पंचायत का गठन :-

प्रत्येक ग्राम पंचायत निर्वाचित पंचों तथा सरपंच से मिलकर बनेगा। यदि कोई ग्राम या वार्ड, यथा स्थिति, किसी सरपंच या पंच को निर्वाचित नहीं करता हैं तो उस जगह को भरने के लिए यथा स्थिति ऐसे ग्राम या ऐसे वार्ड में नई निर्वाचन की कारवाही छ: माह के भीतर प्रारम्भ की जाएँगी। (शर्मा, 1998)

ग्राम पंचायत :-

ग्राम पंचायत पंचायती राज की एक सबसे छोटी व अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है। जिसका चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा में एक गाँव अथवा छोटे – छोटे कई गांवों के समस्त वयस्क नागरिक (18 वर्ष से ऊपर के) सम्मिलित होते है, जो की एकत्रित होकर अथवा ग्राम सभा का क्षेत्र अलग – अलग चुनाव क्षेत्रों में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित तिथी को मतदान करते हैं। ग्राम सभा द्वारा वार्षिक बजट पर विचार किया जाता है तथा निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक ऐसे गाँव में जिसकी आबादी एक हजार तक है, एक ग्राम पंचायत होंगी। यदि आबादी एक हजार से कम है तो पास के विभिन्न गावों को मिलाकर गठन किया जायेंगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम प्रधान के अलावा 7 से 17 सदस्य आबादी के अनुसार हो सकते हैं। उल्लेखनीय है की केरल, जम्मू तथा काश्मीर और त्रिपुरा में एक – स्तरीय पंचायती राज केवल ग्राम पंचायतों में अपनाया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार आदि के पंचायत अधिनियमों में न्याय पंचायतों का भी प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों को सुपुर्द कार्यों में 11 वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषय शामिल हैं।

अहिंसा और असहयोग को ग्रामीण समुदाय की स्वीकृति प्राप्त होगी। ग्रामीण प्रहरी/सुबह की सेवाएँ अनिवार्य होंगी जोकि गाँव के बनाये रजिस्टर द्वारा क्रमश: बारी – बारी से चुने जाएगें। गावं का शासन पंचायत द्वारा चलाया जायेगा जिसमें पांच व्यक्ति होंगे जिनका चुनाव गावं के लोगों के द्वारा किया जाएगा अर्थात ऐसे पुरुष व महिलाओं के द्वारा जोकि निर्धारित, न्यूनतम योग्यता रखते हैं। उनके पास सभी आवश्यक व अधिकार क्षेत्र होगा चूकिं, इसमे सजा की प्रणाली नहीं होगी। यह पंचायत विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का कार्य संयुक्त रूप से अपने एक वर्ष के लिए करेगी।

पंचायत समिति :-

पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत समिति एक महत्वपूर्ण संस्था हैं। इसका स्थान ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य में इसकी देख – रेख में हो, यह संस्था निर्वाचित होनी चाहिए और इसके पास समुचित साधन व तंत्र होने चाहिए स्तानीय जनता का इसमें पूरा विश्वास और पूरी भागीदारी होनी चाहिए जिसके कारण पंचायत

समिति से ग्रामीण विकास व ग्रामीण कल्याण सुचारू ढंग से हो सकेगा। हम इस संस्था को पंचायत समिति कह सकते हैं। इसके लिए ग्राम पंचायतों से अप्रत्यक्ष चुनाओं के जरिये सदस्य लिए जा सकते हैं। ब्लाक में पंचायतों का समूहीकरण किया जा सकता है, इन्हें ग्राम सेवक मंडल कहा जा सकता है, इन पंचायतों के पंच अपने में से लोगों को पंचायत समिति के लिए चुनेंगे। ये निर्वाचित प्रतिनिधि दो स्त्रियों की समिति के लिए सहयोजित करेंगे। अगर गावं में अनुसूचित जातियों की आबादी कुल लोगों के पांच प्रतिशत से अधिक है तो इनका भी सदस्य समिति में नामजद किया जायेगा। इस प्रकार जनजातीय सदस्यों को भी लिया जाएगा। पंचायत समिति का कार्य कल सामान्यत: पांच वर्ष का होता हैं।

ग्राम पंचायत में पंचायत समिति का प्रारंभ बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया तथा बाद में 73 वें संविधान संशोधन में सुझाई गई त्रिस्तरीय रचना का मध्यवर्ती सोपान पंचायत समिति कहलाया हैं। पंचायत राज की वर्तमान व्यवस्था के अधीन पंचायत समिति ही वह धुरी है जिसके चारों ओर पंचायती राज की सारी प्रवृतियां केन्द्रित हैं क्योंकी कार्यपालिका अधिकार और कर्तव्य अब भी पंचायत समितियों में निहित हैं। भारत में जब 1995 से लोकतांत्रिक – विकेंद्रीकरण की योजना लागु की गई तभी से पंचायती राज संस्थाओं के अंतगर्त पंचायत समिति को मध्य स्तर पर स्थापित किया गया। पंचायत समिति को सम्पूर्ण भारत में एक ही नाम से जाना जाता हैं। पंचायत समिति के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत का मुखिया पंचायत समिति का सदस्य होंगा। (शर्मा, 2012)

जिला पंचायत :-

पंचायती राज के तृतीय सोपान पर जिला पंचायते गठित की गई हैं। इसके सदस्यों में जिला पंचायत अध्यक्ष के अलावा जिला के सभी क्षेत्र में पंचायतों के प्रमुख, जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत क्षेत्र के समाविष्ट भाग से प्रतिनिधि बने लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जिला पंचायत को भी कार्यवाही एवं अधिकार व्यापक रूप से पंजीकृत राज्यसभा और विधान परिषद् के सदस्य शामिल होते हैं। जिला पंचायत को भी कार्यवाही एवं अधिकार व्यापक रूप से सौंपे गए हैं जो ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत को दिए गए हैं।

जिला परिषद :-

पंचायती राज व्यवस्था के क्रम में जिला परिषद् एक संस्था है। इसका संगठन भी पंचायत समिति के नमूने पर ही किया गया है। इसके सदस्यों का निर्वाचन भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है इसके अतिरिक्त जिला समस्त विधायक, संसद सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य एवं कुछ महिलाएँ तथा अनुसूचित

जातियों के सहयोजित सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं । प्रत्येक जिला परिषद में एक निर्वाचित अध्यक्ष होता है, जिसे जिला प्रमुख कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष भी होता है, जिसे उप-जिला प्रमुख कहा जाता हैं। जिला स्तर पर, जिला परिषद है जो मूलत: समन्वयकारी निकायों, पंचायतों तथा पंचायत समितियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। महाराष्ट्र और गुजरात में जिला परिषद पंचायती राज संकल्पना में सबसे अधिक शक्तिशाली निकाय है और उसे कार्यकारी कार्य भी सौंपे गए हैं। (वीर, 2009)

पंचायत की संरचना :-

पंचायत की संरचना में लगभग 5000 की आबादी पर निर्धारित प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से पंचायत समिति के लिए एक प्रतिनिधि पंचायत समिति सदस्य के रूप में मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हैं। पंचायत समिति में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे चुनकर आए हुए सदस्यों के अतिरिक्त और भी सदस्य होते हैं, राज्य के विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। परन्तु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रदेशिक क्षेत्र की जनसँख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज यथा सम्भव एक ही होगा । पंचायतों के सभी स्थान पंचायत राज क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए वक्तियों से भरे जायेंगे । इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसे रीती से निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन किया जाएगा की प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसँख्या और उसको आबंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथा साध्य एक ही हो, प्रत्येक पंचायत के अध्यक्ष राज्य द्वारा पारित विधि के अनुसार निर्वाचित होगा। इस विधि में यह बताया जाएगा की ग्राम पंव्हायत और अंतरवर्ती पंचायत के अध्यक्षों का जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व किस प्रकार का होगा।

पंचायत के तीनों स्तरों पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा लेकिन अध्यक्ष पदों के लिए निचले स्तर अर्थात ग्राम पंचायत छोड़कर मध्य व जिला स्तर पर चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा किया जाएगा । ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो यह राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया है। अभी महाराष्ट्र में (2017) से ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से शुरू किया गया है।

ग्राम पंचायत का इतिहास :-

प्राचीन काल से ही भारत वर्ष के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान रहा हैं। सार्वजानिक जीवन का प्रत्येक पहलु इसी के द्वारा संचालित होता है। भारत देश में ग्राम पंचायत का

इतिहास बहुत पुराने समय से चला आ रहा हैं, इसकी जड़े हड़प्पा से लेकर वैदिक काल में देखी जा सकती हैं। जब मनुष्य जंगलों में आदीमानव के रूप में रहता था और शिकार कर अपना पेट पालता था। उस समय भी मनुष्यों के बीच सामुदायिकता का भाव और झुण्ड बनाकर रहने की प्रवृति थी। धीरे – धीरे मानव ने जब सभ्य होना शुरू किया तो उसने खानाबदोशी जीवन त्याग कर एक ही जगह बसना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार मानव अस्तित्व में आए जब वह सभ्य हुए तो उन्हें अपने गावं की एक ऐसी व्यवस्था की जरुरत महसूस हुई थी। जो ग्रामीण कार्यों का प्रबंध कर सके और गावं की समस्याओं का निराकरण कर सके इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था का उदय हुआ प्राचीन भारत में भी स्थानीय शासन दो भागों में विभाजित था।

ग्रामीण और नागरी जब दुनिया सभ्य हो रही थी तो समय वैदिक काल में ही हमारे यहाँ पंचायते अस्तित्व में आ चुकी थी शायद यही कारण है की प्राचीन भारत को ग्राम पंचायतों के देश के रूप में प्रसिध्दी प्राप्त हुई, आज हम जिस पंचायत शब्द का प्रयोग करते हैं। उसकी उत्पति, संस्कृत भाषा शब्द पंचायत से हुई है, जिसका अर्थ होता हैं पांच व्यक्तियों का समूह अभी के समाज में गाँव के किसी पांच समझदार व्यक्तियों का निर्वाचन कर समस्त गाँव की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी जाती हैं। पांच व्यक्ति के इसी समूह को तब पंचायत कहा जाता था। वैदिक काल में सभा समिति जैसे संस्थाए भी अस्तित्व में थी जो आज की पंचायत समितियों के नाम से ही कार्य करती थी।

वैदिक काल में गावं और गावं वाले शासन को अधिक महत्त्व था गावं का समस्त प्रबंध पंचायते (सभा या समिति) ही करती थी। राधा मुखर्जी सहित कई अन्य विद्वान् कहते हैं की प्राचीन भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण पर विश्वास करता था और उस समय प्रत्येक गावं का स्वशासन था। चीनी विद्वान् मेगास्थानिज ने भी अपने यात्रा विवरणों में लिखा है कि प्राचीन भारत के गावं छोटे छोटे आत्म निर्भर और गणतंत्र थे, गावं के प्रशासन का स्वरुप प्रजातंत्रात्मक था। ग्रामीण प्रशासन के बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में काफी कुछ लिखा गया है, कौटिल्य के मुताबिक उस समय स्थानीय स्वशासन काफी विकसित अवस्था में था।

प्राचीन काल के कार्यों के बीच स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता था। भू-राजस्व वसूली, मनमुटाव, झगड़े, आदि का निपटारा करने के लिए पंचायतों द्वारा ही किया जाता था। उस समय गावं का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। जिसकी सहायता के लिए भी एक समिति होती थी जिसे ग्राम सभा कहा जाता था इस ग्राम सभा के अध्यक्ष को ग्राम का प्रधान कहलाता था। ग्राम का प्रधान गावं के बुजुर्गों की सहायता से प्राप्त करता था। वैदिक काल पंचायत को वेदों में ऐसे समुदाय के नाम से जाना जाता था। यह एक समिति थी जों राजा तक का चुनाव करती थी इसी समिति के माध्यम से प्रत्येक गावं में एक नेता चुना जाता था

जिसे ग्रामीण कहा जाता हैं। वैदिक साहित्य में "सभा" व "समिति" शब्द अनेक बार आया है। यह विशेष कर सामान्य जन जीवन के नियम की व्यवस्था को लेकर है जो एक तरह से पंचायत के गुण धर्म से जुड़ा हुआ है।

मध्य काल :-

नवीं और दसवी शताब्दी के चोल और उत्तर मल्लुर शिलालेखों से पता चलता हैं की दक्षिण में भी पंचायत व्यवस्था थी। ग्राम स्वशासन का विकास चोल शासन की मुख्य विशेषता थी, शासन सत्ता एक महासभा में निहित होती थी जिले ग्राम के लोग चुनते थे सभा अपनी समितियों के माध्यम से शासन का काम चलाती थी। इस प्रकार की आठ समितियाँ थी जो जनहित के विभिन्न कार्यों को करने के लिए शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी थी ये न्याय सबंधी कार्य भी करती थी। मुस्लिम और मराठा कालों में भी किसी प्रकार की पंचायत व्यवस्था चलती रही और प्रत्येक ग्राम अपने में स्वावलंबी बनाता रहा।

ब्रिटिश काल :-

ब्रिटिश शासन काल में पंचायत व्यवस्था को सबसे पहले अधिक धक्का पंहुचा और वह यह व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई। फिर भी ग्रामों के सामाजिक जीवन में पंचायते बनी रही प्रत्येक जाती वर्ग की अपनी अलग-अलग पंचायतें थी। जो उसके सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती थी और पंचायत की व्यवस्था एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। परन्तु आगे चलकर अंग्रेजों ने भी यह अनुभव किया की उनकी केन्द्रीकरण की नीति से शासन भर दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा हैं। दूसरी और राष्ट्रिय जागृती के कारण स्वायत्त शासन की मांग भी बढ़ रही थी। उन्हें विकेंद्रीकरण दिशा में कदम उठाने को बाध्य होना पड़ा प्रारंभ में जिला बोर्डों और म्युनिसिपल बोर्डों की स्थापना की गई। सन 1907 के विकेंद्रीकरण सम्बन्धी शाही कमीशन ने पंचायतो के महत्त्व को स्वीकार किया और अपनी रिपोर्ट में लिखा कि किसी भी स्थायी संगठन की नीव जिससे जनता का सक्रिय सहयोग प्रशासन के साथ हो ग्रामों में ही होना चाहिए। कमीशन ने सिफारिश की, कि कुछ चुने हुए ग्रामों में जो पारस्परिक दलबंदी और झगड़ों से मुक्त हो वहा पर पंचायते स्थापित की जाये और प्रारंभ में उन्हें सिमित अधिकार दिए जाये।

भारत सरकार के 1919 में अधिनियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को स्वशासन के कुछ अधिकार दिए गए और 1920 के आस पास सभी प्रान्तों में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाए गए संयुक्त प्रदेश (उत्तर प्रदेश) में 1920 के पंचायत एक्ट के अधीन लगभग 47000 ग्राम पंचायतें स्थापित की गई। सभी प्रान्तों में सिमित अधिकार दिए गए वे जनस्वास्थ, स्वच्छता, चिकित्सा, जलविकास, सड़कों, तालाबों, कुओं आदि की देख भाल करती थी।

ग्राम पंचायतों के प्रति गाँधीजी का स्वप्न :

महात्मा गाँधीजी ने गाँव की आजादी के बगैर, भारत की आजादी को अधुरा बताया है, आजादी यानी गाँव समाज को अपने बारे में स्वंय सोचने, स्वंय निर्णय लेने और स्वंय क्रियान्वित करने की आजादी होनी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि, सच्चा लोकतंत्र, केंद्र में बैठे हुए 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं चलाया जा सकता। उसे प्रत्येक गाँव के निचे से चलाना होगा। स्वतंत्रता निचे से प्रारंभ होनी चाहिए इस प्रकार प्रत्येक गाँव, एक प्रजातंत्र अथवा पंचायत होगा, जिससे हाथ में संपूर्ण सत्ता होगी। यह पंचायत अपने कार्य काल मे स्वंय ही कार्य सभा, न्याय सभा और व्यवस्थापिका सभा का सारा काम संयुक्त रूप से करेगी। अगर हिन्दुस्थान के हर गाँव में कभी पंचायती राज कायम हुआ तो में अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूँगा, जिससे सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे या तो कहिए कि न कोई पहला होगा न कोई आखिरी।

महात्मा गाँधी ने ग्राम पंचायत की कल्पना ग्रासरूट की सोशियल एसेम्बली की तरह की थी। स्वच्छ प्रशासन एवं न्याय की प्राप्ति के लिए वे पंचायती राज को महत्त्वपूर्ण मानते थे तथा इसे लोकतंत्र कि मूल इकाई के रूप में भारत के संम्पूर्ण विकास के लिए आवश्यक बताते थे। उनका मानना था की प्रशासन की खामियों को दूर करने के लिए पंचायत पर ग्रामीण जनता का पूरा नियंत्रण होना चाहिए। महात्मा गाँधी का मानना था कि ग्राम सभाएँ जनता की प्राथमिक असेम्बलियों की तरह कार्य करें, इसके साथ ही पंचायतों के कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए सरकारी अधिकारीयों, पुलिस एवं राजस्व विभाग पर पूरी नजर रखनी चाहिए। यदि ग्राम सभाओं की प्रणाली को मजबूत करने हेतु उन्हें असेम्बलियों की तरह ग्राम के कार्यपालिका एवं प्रशासन तंत्र को ग्राम सभाओं के आगे जवाबदेह बनाया जाता (जैसे केन्द्रीय सरकार तथा सारा प्रशासन तंत्र लोकसभा के और राज्यों की सरकारों तथा प्रशासन तंत्र विधान सभा के सामने जबाबदेह है) तो पंचायतें एवं सरकारी तंत्र मनमानी नहीं कर सकते। (शर्मा, 2009)

पंचायत की व्यवस्था संविधान में :-

भारत को आजादी के बाद गाव में गावं गणराज्य जैसी व्यवस्था स्थापित करने का सपना अधुरा रह गया। हर गावं में गणराज्य हो यह बात उस समय में भी उठी थी जब हमारा संविधान बन रहा था। आदर्श और ऊँचे वसूलों की लम्बी बहस के बाद संविधान में गावं की व्यवस्था के बारे में राज्य के दिशा निर्देशक सिध्दांतो में अनुच्छेद 40 शामिल किया गया जिसमे यह कहा गया कि 40 ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाया गया और उनकी ऐसी शक्तिया और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो ।इस अनुच्छेद को संविधान में जोड़ते समय संविधान सभा में इसके

बाबत यह आम राय थी की इसमे किए गए प्रावधानों पर गावं-गावं में धीरे – धीरे गावं गणराज्य जैसी व्यवस्था स्थापित हो सकेगी ।हर गावं ने केवल राजनीती और प्रशासनिक रूप से स्वायत्त होगा, आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर होगा। उम्मीद यह भी की गई थी की अंग्रेजी राज्य विरासत में मिला राज्य का केन्द्रीय सत्ता वाला रूप धीरे – धीरे बदलता जाएगा जिससे अंत में राज्य के पास वाही कार्य रह जायेगे जो गावं स्तर पर किए ही नहीं जा सकते हैं।

संवैधानिक प्रयास :-

ब्रिटिश शासन के समय से ही पंचायतें स्थानीय शासन के रूप में कार्य करती रही है, परन्तु यह कार्य सरकारी नियंत्रण में होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं द्वारा स्थानीय स्वशासन का कार्य किया जाता था। स्वतंत्र भारत में इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 ने इसकी पुष्टि इस प्रकार से की है, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनकी ऐसी शक्तिया और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत शासन की इकाइयों के रूप में कार्य योग्य बनने के लिए आवश्यक हो। परन्तु इस प्रयास में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के लोकतांत्रिक स्वरुप पर ध्यान नहीं दिया गया इन कमियों को राजीव गाँधी के प्रधानमंत्रित्व काल में उजागर किया गया और पुन:इनके संवैधानिक समाधान करने के लिए प्रयास किया गया।

भारतीय संसद द्वारा पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय संविधान में 73 वीं तथा 74 वीं संशोधन 1993 में किया गया। संविधान का 73 वीं संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागु किया गया हैं। 73 वें 74 वें संविधान ने पंचायती राज तथा नगर पालिकाओं को संविधानिक दर्जा प्रदान किया गया हैं।

बलवंत राय मेहता समिति :-

भारत में सामुदायिक विकास व राष्ट्रिय विस्तार विफलता के बाद बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। जिसने अपनी रिपोर्ट 24 नवम्बर 1957 को सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की इस समिति को गठित करने का कारण यह पता लगाना था। कि लोगों में पंचायतों के प्रति उत्साह कम क्यों है, तथा इस समस्या को कम करने के लिए क्या तरीका अपनाये जाने चाहिए। इस समिति का प्रमुख निष्कर्ष यह था की आम लोगों को ग्रामीण विकास योजनाओं में भागीदार बनाने के लिए योजना व प्रशासनिक सत्ता दोनों का विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है। अर्थात पहली बार विकेंद्रीकरण के साथ लोकतांत्रिकरण शब्द जोड़ा गया इसका अर्थ हैं, आम नागरिक शासन प्रक्रिया में अपना योगदान अनुभव करे। रिपोर्ट के अनुसार सामुदायिक

विकास व राष्ट्रिय विस्तार सेवा का विकास इसलिए नहीं हो पाया कि इनमें जन सहभागिता के तत्व का आभाव था। जनता स्थानीय कार्य कलापों में तभी रूचि लेंगे जब उनके लिए प्रतिनिधि सभाए गठित हो।

विकेंद्रीकरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है, की सरकार को कुछ कार्यों व अधिकारों को निचले स्तरों पर हस्तांतरित करना चाहिए तथा निचले स्तरों पर पर्याप्त वित्तीय साधन भी उपलब्ध करने चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया हैं, बिना जिम्मेदारी और अधिकारों के विकास कार्यों में प्रगति नहीं हो सकती हैं। अध्ययन दल की सिफारिश के अनुसार एक गाँव या गावों के समूह के लिए सीधे चुनी हुई पंचायतें होनी चाहिए। इन चयनित पंचायतों के एक खण्ड के समूह को पंचायत समिति के नाम से जाना जाए और जिला स्तर की समितियों को जिला परिषद् के नाम से जाना जाता हैं। समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायत के तीनों स्तर एक दुसरे से जुड़े होने चाहिए रिपोर्ट ने पंचायत समिति को इस शृंखला की सबसे अहम् कड़ी बताया गया हैं। समिति के राय में इन संस्थाओं को क़ानूनी दर्जा मिलना चाहिए इनके अधिकार एवं कर्तव्य साफ-साफ परिभाषित होने चाहिए, इन्हें सरकारी नियंत्रण में नहीं रखा जाना चाहिए।

(अ) बलवंत राय मेहता समिति, 1957 की मुख्य सिफारिशें :-

(1) पंचायती राज का ढ़ाचा त्रिस्तरीय होना चाहिए, यह ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् हो।

(2) पंचायतें पूर्ण रूप से निर्वाचित इकाइयाँ होनी चाहिए।

(3) इन पंचायतों में महिलाओं के 2 तथा अनुसूची जाती एवं जनजाति के 1-1 सदस्यों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान होना चाहिए।

(4) पंचायत समिति जिसका स्वरुप एक कार्यकारिणी समिति जैसा हो, का गठन ग्राम पंचायतों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए।

(5) जल पूर्ति, सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सड़कों का रख – रखाव तथा भूमि प्रबंध ग्राम पंचायतों का अनिवार्य कर्तव्य निर्धारित किया जाना चाहिए। (वीर, 2009)

(ब)अशोक मेहता समिति 1977 :-

पंचायत राज प्रणाली को अधिक सक्रीय एवं अर्थपूर्ण बनाने के उददेश से आवश्यक सुझाव देने हेतु सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में वर्ष 1977 में एक विशेष समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की। इस समिति के मुख्य सुझाव इस प्रकार है –

1. पंचायती राज का ढाचा त्रिस्तरीय के स्थान पर द्वि – स्तरीय होना चाहिए। पहला जिला स्तर पर तथा दूसरा मंडल स्तर पर।
2. जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी माना जाए और विकास के लिए जिले को ही केंद्र माना जाए।
3. जिले के आर्थिक नियोजन का कार्य भी जिला परिषद् के द्वारा ही किया जाए।
4. पंचायतों में अनुसूचित जाति, जनजाति, और महिलाओं के लिए अलग स्थान आरक्षित होने चाहिए। (वीर, 2009)

(क)64 वें संवैधानिक संशोधन की मुख्य बाते :-

पंचायती राज प्रणाली में सुधार हेतु सरकार ने वर्ष 1989 में 64 वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा निम्नांकित बातों को शामिल किया है –

(1) पंचायती राज संस्थाओं का ढाचा त्रिस्तरीय होगा – ग्राम स्तर, ब्लाक स्तर तथा जिला स्तर पर।

(2) छोटे राज्य जिनकी जनसँख्या 20 लाख से कम है वे द्वि – स्तरीय ढाचा भी अपना सकते हैं।

(3) पंचायतों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। यह आरक्षण अनुसूचित जाति एवं जनजाति को प्राप्त आरक्षण के अतिरिक्त होगा।

(4) पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष होगा, यदि किसी पंचायत का निर्धारित अवधि से पूर्व विघटन हो जाता है तो अधिकतम 6 माह के भीतर इनका नया चुनाव कराना अनिवार्य होगा।

(5) पंचायती राज संस्थाओं को अपने क्षेत्र के अंतर्गत विकास योजनाओं के निर्माण करने का अधिकार होगा। ये योजनायें राज्य द्वारा निर्मित योजनाओं के अनुक्रम में होंगी। इस प्रकार के 2 विषयों को संविधान के 11 वें अनुच्छेद के रूप में सम्मिलित किया गया है। (वीर, 2009)

73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के उददेश :-

भारत में पंचायत राज संस्थाए बहुत लम्बे समय से अस्तित्व में हैं लेकिन इनके लगातार चुनाव न होने के कारण राज्य सरकार द्वारा शक्तियों के नाम पर अंगूठा दिखने से वे कमजोर वर्ग खासकर अनुसूचित जाति-जनजाति का उचित प्रतिनिधित्व न होने से व महिलाओं की भागीदारी नहीं के बराबर होने से ये संस्थाए जनमानस की इच्छाओं व आंकाक्षाओं को पूरा नहीं नकार सकी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वैसे देश की राजनीतिक व्यवस्था पंचायतों पर आधारित नहीं थीं परन्तु राज्य में नीति निर्देशक सिध्दांत अनुच्छेद 40 में यह व्यवस्था की गई थी की राज्य पंचायतों का गठन नहीं करेंगे तथा उन्हें ऐसी शक्ति व अधिकार प्रदान करेंगे ताकि वे स्थानीय स्वशासन इकाइयाँ बन सकें। लेकिन पिछले वर्षो के अनुभव बताते हैं की पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाई बनाने की बात तो दूर रही उनके चुनाव भी लगातार नहीं हुए। जब कभी राज्य स्तर पर सत्ता का परिवर्तन हुवा तो उस समय के राजनैतिक दल की सरकार ने लोगों की सत्ता का नारा देकर पंचायतों का चुनाव करा लिए।कुल मिलकर पंचायते राज्य सरकार की एजेंसी से अधिक कुछ नहीं थीं। इसलिए जरुरी हो गया था की पंचायतों को निश्चितता, निरंतरता व सशक्त बनाने के लिए संविधान में इनसे संबंधित आधारभूत प्रावधान किए जाए। कुल मिलकर निष्कर्ष यह निकला की संविधान में एक नया भाग जोड़ा जाए जिसमें पंचायत से संबंधित निम्न प्रावधानों का समावेश हो।

1. गाँव व ग्राम के समूह स्तर पर ग्राम सभा का गठन।
2. पंचायतों का ग्राम पंचायत व अन्य स्तरों पर गठन।
3. सभी स्तरों पर सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव।
4. अनुसूचित जाति – जनजाति के वर्गों का उनकी संख्या के अनुपात में सदस्य व अध्यक्ष के लिए आरक्षण।
5. महिलाओं के लिए सदस्य व अध्यक्ष पदों के लिए कम से कम एक-तिहाई आरक्षण।
6. पांच वर्ष का कार्यकाल और चुनाव 6 माह के अन्दर यदि किसी कारण से पंचायतों का निरस्त कर दिया हो।
7. राज्य विधान मंडल को अधिकृत करना की वे पंचायतों को इतने कार्य, अधिकार व शक्तिया प्रदान करे जिससे की ये स्वायत्त शासन की संस्थाए बन सकें और अपने स्तर पे आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएं बना सकें।
8. पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राज्य विधानमंडल इन्हे उचित निधि (फंड) उपलब्ध कराए तथा इन्हें कर लगाने की शक्ति भी प्रदान करे। पंचायत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए हर पांच वर्ष बाद वित्ति आयोग का गठन किया जाए।
9. राज्य चुनाव आयोग के निरिक्षण एवं नियंत्रण में चुनाव करना।

इन्ही सब प्रावधानों का समावेश करते हुए 73वा संविधान पारित किया गया।

73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 की मुख्य विशेषताएँ :-

भारत की संसद द्वारा अप्रैल, 1993 में पारित किया गया यह संविधान संशोधन अधिनियम एक मिल का पत्थर है। इस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई है। इस संविधान संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार है –

(1) **त्रिस्तरीय ढांचा :-** 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम ने देश में त्रि-स्तरीय पंचायती राज के ढांचे का प्रावधान किया है। इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, ब्लाक या खण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् के गठन की व्यवस्था है।

(2) **महिलाओं को आरक्षण :-** इस संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। प्रत्येक पंचायती राज संस्था में एक तिहाई स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं महिलाओं के आरक्षण में अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की भागीदारी के लिए इन जातियों की संख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों में भी एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए हैं।

(3) **निश्चित कार्यकाल :-** इस अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई है। अब ये संस्थाए प्रशासन की दया पर निर्भर नहीं रहेंगी। इनका कार्यकाल पांच वर्ष निश्चित कर दिया गया है। यदि किसी कारण से इनको भंग किया जाना आवश्यक हो जाता है तो छ:माह के अन्दर चुनाव करवाना आवश्यक है।

(4) **अनुदान की व्यवस्था :-** 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए आर्थिक स्वावलम्बन की व्यवस्था की गई है। राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की भी व्यवस्था है। इन संस्थाओं को कितनी राशी अनुदान के रूप में दी जाये, यह राज्य के वित्त आयोग की सिफारिश पर निर्भर करेगा। इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के नियंत्रण से स्वतंत्र से रखने की व्यवस्था की गई है।

(5) **राज्य चुनाव आयोग का गठन :-** 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों के लिए एक चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवायेगा। इस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित कर दिया गया है।

(6) **ग्यारहवीं अनुसूची में कार्यो का उल्लेख :-** इस अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में एक ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई है । इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित विभिन्न कार्यों एवं कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। यह अनुसूची ग्रामीण विकास के आर्थिक तथा सामाजिक कार्यो को विशेष महत्त्व प्रदान करती हैं।

(7) **पंचायती राज का विस्तृत कार्यक्षेत्र :-** ग्यारहवीं अनुसूची पंचायती राज के कार्य क्षेत्र का विस्तार से वर्णन करती है। सिंचाई, पीने का पानी, पशुपालन,स्वास्थ की देख – रेख, शिक्षा, बिजली तथा रसोई के लिए इंधन की व्यवस्था करना तो पंचायती राज के मुख्य कार्य बताए ही गये हैं, इनके अतिरिक्त रोजगार के साधनों को बढ़ावा देना, तकनिकी तथा व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध जिससे गरीबी को कम किया जा सके, महिला व शिशु कल्याण के कार्य, अपंग, मानसिक रूप से अविकसित तथा दुर्बल वर्ग के लोगों के कल्याण की व्यवस्था का दायित्व भी पंचायती राज संस्थाओं का हैं। (वीर, 2009)

73 वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ग्राम सभा के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया हैं अनुछेद 243 (क) के तहत ग्राम सभा को शक्तियां प्रदान करने का कार्य भार राज्य सरकारों को सौंपा गया हैं तथा संविधान की 11 वीं सूची में निदिष्ट 29 विषयों के सम्बन्ध में योजना बनाने, क्रियान्वित करने तथा उनका मुल्यांकन करने का कार्य ग्राम सभाओं को सौंपा गया। (कुरुक्षेत्र, 2015) पंचायती राज संस्थाओं को न केवल ग्रामीण विकास का माध्यम बनाया गया है, अपितु लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण में निम्न स्तर पर लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। लोगों को लोकतंत्र में भाग लेने का परोक्ष रास्ता मिला है। भारत की तिन-चौथाई जनसँख्या गांवों में रहती है । उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए उनकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। 'काम भी अपना, गावं भी अपना' जैसे उत्तम उददेश ने पंचायती राज संस्थाओं के गौरव को और भी बढ़ा दिया है तथा ग्राम सभा के सदस्यों के अलावा विभिन्न समितियों का गठन करना, रोजगार आश्वासन योजना, स्थानीय जिला योजना इत्यादि ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य हैं जो समाज में लोगों की भागीदारी तथा जीवन स्तर को उठाने में निश्चित रूप से सहायक हैं।

महाराष्ट्र में पंचायती राज व्यवस्था :-

वसंतराव नाईक सिफारिसों के अनुसार महाराष्ट्र में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना सन 1962 में हुई। यद्यपि महाराष्ट्र में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली कार्यरत है । महाराष्ट्र में जिला परिषद् उच्च स्तरीय संस्था होने के साथ-साथ शक्तिशाली संस्था है अर्थात पंचायती राज संस्थाओं के अन्य संगठनों की अपेक्षा महाराष्ट्र में जिला परिषद् के पास व्यापक अधिकार एवं कर्तव्य हैं। महाराष्ट्र में जिला परिषद् विभिन्न कार्यों के

निष्पादन एवं विकास कार्यों को सम्पन्न करने के साथ-साथ राज्य सरकार को सलाह भी देती है। इसकी चुनाव प्रणाली भी भिन्न है। यहाँ जिला परिषद् का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से जनता द्वारा किया जाता है। जिला परिषद् ही जिले के विकास कार्यों का नियोजन एवं कार्यान्वयन करती हैं। महाराष्ट्र में पंचायत समिति पंचायतीराज संस्थाओं की मध्यस्तरीय संस्था है। इसका अध्यक्ष चेयर मैन कहलाता है। यह एक निर्बल इकाई है। जिला परिषद् के कार्यों का निष्पादन करना ही इसका प्रमुख कर्तव्य होता है। खण्ड स्तर पर किए जाने वाले आवश्यक कार्यक्रमों की योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों की रुपरेखा तैयार करती है। (शर्मा, 2009)

संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यपालिका समिति होती है। विभिन्न राज्यों में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में इसे ग्राम पंचायत ही कहा जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्य पंच कहलाते हैं जो गुप्त मतदान द्वारा ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं गावं के मुखिया को सरपंच कहा जाता है। वर्तमान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों को चुनाओं में आरक्षण प्राप्त है। तथा 14 अप्रैल, 2011 को महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतों में 50 फीसदी आरक्षण दिया गया है। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतों के मुखिया अर्थात सरपंच को ग्राम पंचों द्वारा चुना जाता है, हालाकि 2017 के चुनाव से सरपंच पद का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा हुआ है, महाराष्ट्र में इसकी शुरुवात हो चुकी है।

महिलाओं को संविधान में आरक्षण प्रावधान :-

भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायत के विभिन्न स्तरों पर पंचायत सदस्य और उनके प्रमुख – दोनों पर महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया जिससे देश के सामाजिक एवं रजनीतिक जीवन में सन्तुलन आए। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया खण्ड (9) और उसके अन्तर्गत 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 243 (द) (3) के अन्तर्गत महिलाओं की सदस्यता और अनुच्छेद 243 (द) (4) में उनके लिए पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 (घ) में यह उपबन्ध है कि सभी स्तर की पंचायत में रहनेवाली अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण होगा। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जानेवाले कुल स्थानों में से एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। राज्य विधि द्वारा ग्राम और अन्य स्तरों पर पंचायत के अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण कर सकेगा तथा राज्य किसी भी स्तर की पंचायत में नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में स्थानों या पदों का आरक्षण कर सकेगा। (पडलिया, 2009)_117

संविधान के अनुच्छेद 330 के खण्ड (1) के तहत लोक सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करना। संविधान 332 के खण्ड (1) के तहत सभी राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को आरक्षण देना हैं। संवैधानिक दृष्टी से इन स्थानों पर 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 7 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए पूर्व से आरक्षित हैं। जब महिला आरक्षण पर बात आती हैं तो विभिन्न राजनीतिक दलों, विभिन्न वर्गों के लिए कोटे की बात करने लगते हैं। भारतीय महिला का आज भी विकास काफी धीमा हैं, गाँधीजी के अनुसार महिलाओं को मताधिकार तो होना ही चाहिए, उन्हें कानून के हिसाब से सामान दर्जा भी मिलाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत स्त्री-पुरुष के बीच किसी भी मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। वर्तमान भारतीय समाज व्यवस्था पुरुष प्रधान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं समझा जाता वैसे आज तो लगता हैं कि स्त्री-पुरुष में समानता स्थापित हो गई हैं, परन्तु यह एक छलावा ही हैं। क्योकिं महिलाओं को आगे तो ला रहे हैं पर दिखने के लिए हर जगह पर महिलाओं का नाम चलता है पर सत्ता पुरुष ही संभालते हैं। अगर पंचायत में महिला सरपंच बनी तो उसके घर के पुरुष ही पंचायत का कार्यभार संभालते हैं। महिला सिर्फ नाम की सरपंच होती हैं महिलाओं को आगे लेन के लिए संविधान में 33 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान हैं लेकिन फिर भी महिला हर क्षेत्र में पीछे हैं उसे घर तक ही सिमित कर दिया गया हैं।

ग्राम पंचायत में महिलाओं की सहभागिता :-

भारतीय राज व्यवस्था में राज्यस्थान को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सर्व प्रथम (मॉडल प्रदेश) कहा जाना चाहिए। जिसने 2 अक्टूम्बर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ किया था। राजस्थान में पहली बार 1959 में प्रशासनिक स्तर पर जनता की सहभागिताओं को सुनिश्चित करने की दृष्टी से सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को स्वीकार किया गया था। राज्यस्थान में 1959-1977 के काल में पंचायती के दो बार चुनाव सम्पन हुए थे लेकिन ग्रामीण महिलाओं का प्रतिनिधित्व न के बराबर था। 1977 तक पंचायती राज व्यवस्था में ठहराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई संविधान के 73वें व 74वें संविधान संशोधन के फलस्वरुप देश की ग्रामीण एवं नगरीय दोनों प्रकार की पंचायतों में महिलाओं को जन प्रतिनिधि बनाने का अवसर प्राप्त हुआ।

ग्राम पंचायत पंचायती राज की सबसे बड़ी विशेषता हैं, महिलाओं के लिए 30% स्थानों का आरक्षण मिला है। इसमे संदेह नहीं की देश परिपूर्ण तभी होगा जब महिलाए शिक्षा, राजनीती, रोजगार आदि में पुरुषों की समक्षता में आ सकेंगी। यह सर्वादित है की भारतीय महिलाए अति प्राचीन काल से अपनी मेघा शक्ति और कार्य क्षमता का अच्छा परिचय देती रही हैं। चुकी महिलाएँ देश की लगभग आधी जनसँख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं इसलिए यह महिलाओं का अधिकार ही नहीं, दायित्व भी हैं की वे न केवल विकास योजनाओं का अंग बनें, बल्कि उन विकास योजनाओं को निर्धारित करने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका हो। चूकिं महिलाएँ

पुरुषों की अपेक्षा जमीन से अधिक जुड़ी रहती हैं इसलिए उनके समान प्रतिनिधित्व से यह उम्मीद बनती है की पंचायत द्वारा अधिक व्यावहारिक निर्णय लिए जा सकेंगे। (पडलिया, 2009)

भारत में स्थानीय निकायों के तीसरे चरण का महत्त्वपूर्ण उददेश महिलाओं को अधिकार प्रदान करना है। 73वें संशोधन के अनुसार कम-से-कम एक-तिहाई महिलाएँ सभी स्थानीय स्वशासकीय निकायों तथा पंचायतों के स्तर पर निर्वाचित होंगी जिसमे पंच, सरपंच, प्रधान, पंचायत समिति प्रमुख और जिला परिषद् सभी स्तर सम्मिलित हैं। इस आरक्षण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। स्थानीय स्तर की सभी प्रमुख रीतियों जैसे नि:शुल्क भूमि आवंटन, आवास निर्माण सहायता, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन आदि में महिलाओं का योगदान राजनीतिक स्तर पर मिलेगा। स्थानीय निकायों में महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की घोषणा एक मिल के पत्थर के समान है। स्थानीय निकायों में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गई हैं। (पडलिया, 2009)

महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका :-

भारत की सामाजिक व्यवस्था 'पुरुष प्रधान' रही है। महिलाओं को सदैव पुरुषों से कम एवं अक्षम समझा गया है। पंचायत राज व्यवस्था में आरक्षण के फलस्वरूप यद्यपि ग्रामीण महिलाएँ सामाजिक बंधनों को तोड़ कर आगे आ रही हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ पुरुषों के हाथों की कठपुतली बनी हुई हैं। कोटा से निर्वाचित महिलाएँ सामाजिक बन्धनों, पुरुषों के भय तथा पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण पंचायती व्यवस्था से जुड़ी गतिविधियों से दूर रहती हैं। कई गांवों में महिलाएँ सरपंच हैं लेकिन पंचायत के समस्त कार्य उनके पति/ भाई –भतीजे करते हैं। चुनाव में महिलाएँ जीत कर आती हैं मगर सरपंच उनके पति कहलाते हैं। फलत: इन गांवों में उनकी अधिकाधिक भागीदारी की कामिओ के कारण कई योजनाएं धीमी गति से क्रियान्वित होती हैं। हालाँकि प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत महिला विकास के अनेक कार्यक्रम हैं, परन्तु उन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सक्रियता का अभाव होने के कारण सामान्य महिलाओं की रूचि कम नजर आती है। अत: इसके लिए जरुरी है जागरूकता, सामूहिक प्रयास और इच्छाशक्ति। स्थानीय प्रशासन का भी दायित्व बनता है की सफलता के लिए महिलाओं को आगे लाने में उनका सहयोग करे। प्रदेश की त्रि-स्तरीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को पुख्ता किए बिना सामाजिक बदलाव की कल्पना नहीं की जा सकती। आज भी ग्रामीण अंचल में बेसिक शिक्षा का पर्याप्त आभाव देखा जा सकता है। (पडलिया, 2009)

महिलाओं की राजनीतिक क्रियाशीलता :-

राजनीति में भारतीय महिलाओं की भागीदारी कम क्यों है। भागीदारी का प्रश्न सीधे तौर पर नीति-निर्धारण निकायों में महिलाओं की भूमिका से जुड़ा हैं इसमे महिलाओं की चिंताजनक स्थिति नीतियों को तय करने में उनकी भागीदारी की अनुपस्थिति का संकेत देती हैं यह सत्ता में महिलाओं की भागीदारी से जुड़ा पहलु हैं। तो दूसरी और आम भारतीय महिलाएँ भी राजनीतिक रूप से अक्रियाशील ही हैं। उसका मत अधिकार उसी व्यक्ति को जाता हैं, जिसे उसके पुरुष रिश्तेदार चाहते हैं। वास्तव में महिलाएँ अपने मताधिकार को तो उपयोग करती हैं लेकिन पारिवारिक संबंधो के चलते वे अपनी राजनीतिक अधिकार को तो उपयोग नहीं कर पति हैं। विश्लेषण करने पर पाता चलता हैं की विभिन्न राजनीतिक दल घोषित तौर पर तो महिलाओं को हिम्मत देती हैं और वे महिलाओं को राजनीतिक रूप से जागरूक व क्रियाशील बनाने की जरुरत पर बल देते हैं। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही हैं राजनीतिक दल महिलाओं को राजनीती में भागीदारी और सत्ता में हिस्सेदारी की वकालत तो करते हैं लेकिन व्यव्हार में उनकी कार्य प्रणाली बिल्कुल अलग हैं। यही कारण हैं की महिला उम्मीदवारों को न तो अधिक टिकट दिए जाते हैं और न ही उन्हें संगठन में महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी सौपी जाती हैं।

73वें – 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत स्थानीय संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर डी गई है। इस समय लगभग 10 लाख स्त्रियाँ इस संविधान संशोधन द्वारा शुरू किए गए त्रि-स्तरीय ढांचे में सदस्य और अध्यक्ष के पद कार्यरत हैं। भारत जैसे बड़े देश में भी यह अच्छी-खासी संख्या है और निश्चित ही इससे हाली तक के ठहरे हुए ग्रामीण समाज में बदलाव आया है। इस संविधान संशोधन के लागु होने के पश्चात् महिलाओं की सोच में परिवर्तन आया है वह अब राजनीति में सक्रीय होने लगी हैं। महिलाओं को जागरूक बनाने तथा उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लेन के लिए संविधान के 73वें संशोधन में महिलाओं के लिए आरक्षण एक ठोस कदम है। निर्वाचित महिलाएँ अन्य महिलाओं तथा किशोरियों के लिए आरक्षण बन गई हैं। उनके परिश्रम और उनकी सफलताओं ने शिक्षा की अभिलाषा को मजबूती प्रदान की है। महिलाएँ राजनीतिक रूप से धीरे-धीरे जागरूक हो रही हैं वे राजनीती में भागीदारी और सत्ता में हिस्सेदारी चाहती हैं इसीलिए तो मेघा पाटकर, अरुंधती राय, वंदना शिव और अरुणा राय जैसी महिला राजनीतीज्ञों की जमात सामने उभर कर आ रही हैं।

अध्ययन का तर्क:-

किसी भी समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं ,ज्यो विभिन्न धर्म, जाति, वंश, लिंग और विभिन्न विश्वासों को मानने वाले हो सकते हैं। उनसे यह उम्मीद की जाती है, की वे समाज में सामंजस्य बिठाए और बिना किसी

भेदभाव के साथ रहे । आदर्श स्थिति तब मानी जाएँगी जब समाज के सभी वर्गों में बराबरी, आजादी और भाईचारा हो । समाज में स्त्री – पुरुष समान हिस्से में है, फिर भी महिलाए आज भी कई क्षेत्रो में पीछे पाई जाती है । 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जा चुका है जिसके जरिए आज भारी संख्या में महिलाएं पंचायतो में चुन कर आ रही हैं । लेकिन यह पूरा सच नही है । वास्तविकता यही है कि महिलाओं के नाम पर आज भी उनके पुरूष रिश्तेदार ही राजनीती करते है। हालांकि इस अधिनियम के जरिए अनुसूचित जाति और जनजाति कि महिलाओ को भी आरक्षण दिया गया है लेकिन इस वर्ग की महिलाओं की हालत जस की तस है । प्रस्तूत शोध में पंचायतो में महिलाओं कि स्थिती कि मीमांसा की गई है । राजनिती में महिलाएं आज भी कठपुतलियां हैं । इस विडम्बना के कारण क्या है? और इस समस्या का समाधान किस प्रकार मिल सकता है, इस यक्ष प्रश्न का जवाब खोजने की कोशिश भी इस शोध में की गई है । राजनिती के चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में काम कर रही महिलाओ कि दशा और दिशा क्या है, इसका अध्ययन भी इस शोध में किया गया हैं ।

समाजिक कार्य ज्ञान में अध्ययन का प्रास्ताविक योगदान :-

समाज कार्य क्षेत्र में पंचायती राज ये बहोत महत्त्वपूर्ण इकाई है । समाज कार्य क्षेत्र के अंतर्गत पंचायती राज के अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत के आर्थिक विकास एवं अपने पंचायत क्षेत्र के लिए वार्षिक योजना बनाना और उपयोगिता एवं संचालन में ग्राम पंचायत को सलाह देना, विकास के लिए लोगों की भागीदारी बढ़ाना होता हैं । संविधान-शासन सभी को एक जैसी सुविधा, अधिकार व संवैधानिक समानता प्रदान करता है, फिर भी ग्राम पंचायत सरपंचों की भूमिका, उनकी कार्य प्रणाली आचरण, कार्य कुशलता परस्पर विभिन्नता के कारण अलग – अलग दिखाई देती हैं । यह शोध महिला सरपंचो की चुनौतियां एवं स्थिति पर आधारित है, यह शोध स्पष्ट रूप से महिलाओ के राजनैतिक विकास पर अपना लक्ष्य केन्द्रित किया हैं । महिलाओं को ग्राम पंचायत में कार्य करते समय आने वाली चुनौतियां का समाधान करेने हेतु समाज कार्य हस्तक्षेप सुझाया गऐ हैं, यह हस्तक्षेप प्रारूप महिलाओं के साथ समाज कार्य क्षेत्र में अपना योगदान देगा। क्योकि यह शोध एक नए दृष्टिकोण से किया गया है, अतः इससे सामाजिक कार्य ज्ञान में नविन ज्ञान की प्राप्ति होंगी।